

10

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :- Camp

Dated :- 10-03-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 6.772 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Ghurshal-Saikot motor road, Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN	Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.772 Hect of civil area proposed for diversion. Copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Signature



(Ashok Kumar)

District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 12-3-2015 at time 12:00 hrs. at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.772 Hect of civil land for the Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

Signature


जिलाधिकारी
(Ashok Kumar)
चमोली
(District Magistrate Chamoli)

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 7.8.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|---------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 1- श्री | अवधेश कुमार सिंह | उपजिलाधिकारी (सदर) | अध्यक्ष |
| 2- श्री | रुद्र प्रसाद सिंह | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री | आर. एल. खन्ना | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री | सुनीता देवी पंवार | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

AVC
07/03/2015
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष
चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी
रुद्र प्रसाद

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सुनीता देवी पंवार
(सुनीता देवी)
बी.डी.सी. क्षेत्र
विकास खण्ड दशोली (चमोली)
सदस्य

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

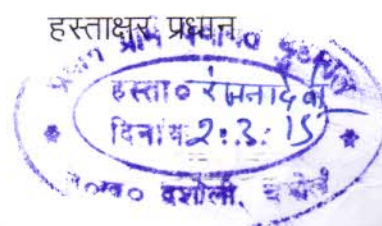
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.772 हे० सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.772 हे० सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र -23.1

दि. 02/03/2015 को ग्राम सभा कुदराल की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

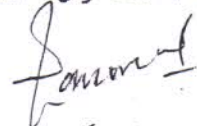
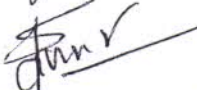
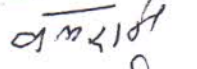
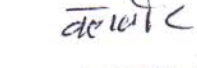
क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिशुपालसिंह	
2	हरीशचन्द्र	
3	रामचन्द्रसिंह	
4	मातवरसिंह	
5	मनवरसिंह	
6	प्रदीपसिंह	
7	वलवीरसिंह	
8	तिलोकसिंह	
9	कुंवरसिंह	
10	मोहनसिंह	
11	दरवानासिंह	
12	मल्पसिंह	
13	विनोदलाल	
14	नन्दासिंह	
15	मकतसिंह	
16	तिलोकसिंह सती	
17	नारायणसिंह	
18	बूणसिंह	
19	लगदीशुलाल	
20	नरैन्द्रसिंह	

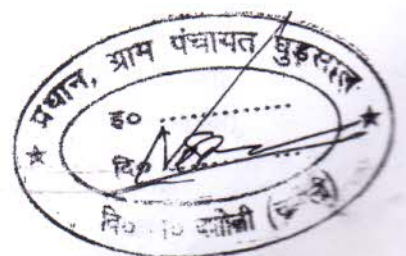
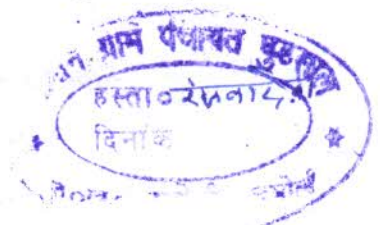
ग्राम सभा के अध्यक्ष
हस्ताक्षर (प्रमाणित)
दिनांक 2.3.15
पृष्ठ 0 दशम, चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हम समस्त ग्राम वासी ग्राम झुड़साल, सेक्टर दोषित करते हैं।
कि मोटर मार्ग झुड़साल-सेक्टर के निर्माण जो लो. नि. नि. नि.
गोपेस्वर द्वारा किया गया है, उसमें ग्राम-वासियों को किसी
भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, यह कार्य सन्तोषपूर्ण प्रारम्भ
किया जाय,

समस्त ग्रामवासीओं के नाम कहलाकर

- (1) विजयपाल सिंह - 
- (2) दीपक पंवार - 
- (3) प्रभाकिट पुनार - 
- (4) कलदाजी - 
- (5) बलवीर सिंह - 
- (6) मकर सिंह - 
- (7) जयवन्त सिंह - 
- (8) अमर सिंह - 
- (9) रामेश चन्द - 
- (10) अजित लाल - 
- (11) सुधा सिंह - 
- (12) विजय/रीद - 
- (13) दरभाना मूढ़ - 
- (14) - 
- (15) विजयपाल सिंह - 
- (16) - 
- (17) - 
- (18) - 
- (19) - 
- (20) - 



सत्य प्रतिनिधि
सहायक अभियन्ता
प्रो. खण्ड लो. नि. नि.
संयोजक